

खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र
(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1958 धारा 130)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
अजमेर।

प्रशासन गाँवों के संग अधिवान 2023

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम गाँवता पटवार मण्डल गाँवता
भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सरायना तहसील अजमेर की जमाबंदी संयत 072-75 खाता
सं० 983 में अ.नं. 2244/3300 अ.3 पुत्री महावीर सिंह, जयपाल सिंह, कुलदीप सिंह
पि. महावीर सिंह मंगेर के बेटे अ.नं. 2244/3300 अ.3 पुत्री महावीर सिंह अंकन है। जबकि जमाबंदी संयत

कल्याण के खाता संख्या 129 में सिद्धमय्य अंकन दर्ज था। उक्त अंकन वर्तमान जमाबंदी
नहीं है।

में बिना किसी आधार के गलत अंकन हो गया। अतः जमाबंदी में पूर्व जमाबंदी सं० 983 के अनुसार दुरुस्ती
करने की कृपा करावे।

दिनांक 04/07/23

प्रार्थी अ.नं.

संलग्न-

पता पट. गाँवता

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) अजमेर
कमांक/भू.अ./ 948 दिनांक 04/07/23 मो० न०

जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी/भू-अभिलेख निरीक्षक/तहसीलदार

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जांच की गई कि अ.नं. 983 में अ.नं. 2244/3300 अ.3 का गलत
पुत्री महावीर सिंह मंगेर के बेटे सिद्धमय्य अ.नं. 129 अ.3 का अंकन
नहीं है जो गलत है।

अतः उक्त अंकन के स्थान पर नवीन अंकन अ.नं. 2244/3300 अंकन 129 अ.3 का अंकन
सिद्धमय्य अंकन में दर्ज है

दुरुस्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

अ.नं.
हस्ताक्षर पटवारी

प्रशासन गाँवों के संग अधिवान-2023
हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक
03/10

अ.नं.
हस्ताक्षर तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

ब्रमांक उखअ/राजस्व/शिविर/21/228

00 आदेश 00

दिनांक- 4/7/23

रिपोर्ट व अनुशंसा पटवारी हल्का गाँवता भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सरायना तहसीलदार
अजमेर के आधार पर ग्राम गाँवता पटवार मण्डल गाँवता भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सरायना
तहसील अजमेर की जमाबंदी के खाता सं 983 खसरा नम्बर 2244/3300 पर
नवीन अंकन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 130 से अन्तर्गत दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जा रहे हैं।
तहसीलदार अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की पालना करने से पूर्व रिकॉर्ड का मिलान/जांच एवं भा. न्यायालय
में वाद विचाराधीन एवं स्थगन आदेश की पूर्ण जायगी कराने के पश्चात् ही रिकॉर्ड में अमल दरागव करावे।

(सिद्धमय्य अंकन में दर्ज है)

अ.नं.
उपखण्ड अधिकारी अजमेर
शिविर प्रभासी
महगाई राहत कॅम्प
प्रशासन गाँवों के संग अधिवान-2023